

302
1/10/18
टेलीफैक्स: 0135-2743773

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड
15 सी कालीदास मार्ग हाथीबडकला
देहरादून-248003

संख्या: 1001/विधि/सै.क.-1

दिनांक : 16 जनवरी 2018

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

विषय :- महत्वपूर्ण शासनादेश/निर्णय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-07/निस-मु.स./2018 दिनांक 04 जनवरी 2018 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसमें निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण शासनादेशों की एक प्रति आपको उपलब्ध करवाई जाय।

2. उक्त के संदर्भ में शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं को देय मासिक अनुदान की राशि रु० 4000/- को बढ़ाकर रु० 8000/- प्रतिमाह किये जाने विषयक शासनादेश की प्रति आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,


संलग्न:-उपरोक्तानुसार

ले०कमा०दीपक खण्डूड़ी (से०नि०)
उप निदेशक
कृते निदेशक ।

प्रतिलिपि :-

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) - शासनादेश की एक प्रति सहित
सचिवालय परिसर, देहरादून । सूचनार्थ प्रेषित ।

2. अपर सचिव, - सूचनार्थ प्रेषित ।
सैनिक कल्याण अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।


उप निदेशक

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2017


विषय:-उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं को देय मासिक अनुदान रू0 4000/-को बढ़ाकर रू0 8000/-प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2006/सै0क0/द्वि0वि0यु0पे0/2016-17, दिनांक 31 अगस्त, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड में निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं के भरण-पोषण के लिए वर्तमान में शासनादेश संख्या-1260/XVII-3/10-464(कल्याण)/2001, दिनांक 29.02.2016 के अनुसार दी जा रही रू0 4000/-प्रतिमाह अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर रू0 8000/- (रूपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह/प्रति लाभार्थी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (क) उक्त पुनरीक्षित दर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी तथा यह अनुदान त्रैमासिक रूप से ग्राम प्रधान द्वारा जीवित होने के प्रमाण-पत्र के उपरान्त ही लाभार्थी को प्रदान किया जायेगा।
 - (ख) कम से कम छः माह में एक बार सम्बन्धित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (ग) उपर्युक्त रूप से संशोधित दर पर अनुदान की धनराशि एतदविषयक नियमावली में दी गयी शर्तों के अनुसार वितरित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उपलब्ध शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन न हो।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-09- उत्तराखण्ड के निवासी, द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन स्वीकृत, के मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या-1229 (1)/XXVII(1)/ 2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवेदीय,



(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: — (1)/XVII-5/2017-464(कल्याण)/2014: तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 सैनिक कल्याण मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।